

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक—13-2-14

संख्या—4 / प्रा०-१२-१३ / २०१३-१४२(४) / भारत का संविधान के अनुच्छेद-३०९

के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग में नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।—

अध्याय—१ : प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। — (1) यह नियमावली "बिहार प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग नियमावली, 2014" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत होगी।
2. परिभाषाएँ। — जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—
 - (i) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
 - (ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग;
 - (iii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;



- (iv) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है संबंधित असैनिक शाल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी;
- (v) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग; तथा
- (vi) 'परिशिष्ट' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट।

3. संवर्ग का गठन। — प्रयोगशाला प्रावैधिक का संवर्ग जिला स्तरीय होगा। इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के कुल पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय—समय पर स्वीकृत की जाय। जिला संवर्ग से ही संबंधित जिला में अवस्थित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं सुपरस्पेलिटी अस्पतालों में प्रयोगशाला प्रावैधिकों की पदस्थापना की जायेगी।

4. संवर्ग का पदसोपान। — इस संवर्ग की विभिन्न कोटियाँ अर्थात् पदसोपान परिशिष्ट-1 के अनुसार होंगे।

अध्याय-2 : भर्ती

5. भर्ती। — इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि (प्रयोगशाला प्रावैधिक) के पद पर सीधी भर्ती से, आयोग की अनुशंसा के आधार पर, होगी।

6. अर्हताएँ। — (1) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आई0एस—सी10/10+2 (जीव विज्ञान) में उत्तीर्णता होगी। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त

✓

संस्थान से प्रयोगशाला प्रावैधिक के डिप्लोमा कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा।

(2) प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु-सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु-सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर, आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाय। संबंधित वर्ष की 1ली अगस्त को, उम्र के निर्धारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।

7. भर्ती की प्रक्रिया। – (1) नियुक्ति प्राधिकार, वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर, आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित आधार पर मेधा सूची तैयार करेगा:—

(क) इन्टरमीडियेट / 10+2 परीक्षा में प्राप्तांक के लिए— 25 अंक

(ख) उच्चतर शिक्षा (बी0एस—सी10 / एम0एस—सी10)
के प्राप्तांक के लिए— 10 अंक

(ग) प्रयोगशाला प्रावैधिक के डिप्लोमा कोर्स
की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए— 25 अंक

(घ) बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य का अनुभव के लिए
(प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक)— 25 अंक

(ङ) साक्षात्कार के लिए— 15 अंक

कुल 100 अंक

[Signature]

142 (4)
13-2-14

टिप्पणी । - इंटर/10+2, एवं प्रयोगशाला प्रावैधिक के डिप्लोमा कोर्स

की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जानेवाले

अंकों का निर्धारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के

प्रतिशत को 0.25 के गुणक से गुणा करके होगा । यथा, यदि किसी

अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे $50\% \times 0.25 =$

$12\frac{1}{2}$ अंक दिये जायेंगे ।

(3) साक्षात्कार की प्रक्रिया का निर्धारण आयोग के द्वारा किया जायेगा ।

(4) उपनियम(2) के आधार पर मेधासूची तैयार करने के पश्चात् आयोग के द्वारा, नियुक्ति प्राधिकार के सहयोग से, प्रमाणपत्र की प्रारम्भिक जाँच एवं स्वास्थ्य जाँच करायी जायेगी और तत्पश्चात् अंतिम अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजी जायेगी । नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर भी, प्रमाणपत्रों की जाँच के पश्चात् अनुशंसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करा लिया जायेगा ।

(5) आयोग की अनुशंसा के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा ।

142(4)
13-2-74

अध्याय 3 : परिवीक्षा/विभागीय परीक्षा/सम्पुष्टि

8. **परिवीक्षा अवधि।** – नियुक्ति के उपरान्त अन्यर्थी परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जायेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे प्रयोगशाला प्रावैधिक को सेवामुक्त कर सकेगा।
9. **प्रशिक्षण।** – परिवीक्षा अवधि में प्रयोगशाला प्रावैधिक को ऐसे प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा, जो विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय।
10. **विभागीय परीक्षा।** – प्रयोगशाला प्रावैधिक को विभाग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
11. **सम्पुष्टि।** – परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा होने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रयोगशाला प्रावैधिक को सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।
12. **वरीयता।** – प्रयोगशाला प्रावैधिक की आपसी वरीयता आयोग के द्वारा निर्धारित मेधासूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

142(4)
13-2-14

A.V.

अध्याय—4 : प्रोन्ति

13. प्रोन्ति के सोपान। — (1) सेवा में सम्पुष्ट प्रयोगशाला प्रावैधिक को रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, योग्यता—सह—वरीयता के अनुसार, परिशिष्ट—1 में उल्लिखित प्रोन्ति के सोपान के पदों पर प्रोन्ति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्ति के लिए सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत 'कालावधि' संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

(3) सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत प्रोन्ति संबंधी और चारित्री या पी0ए0आर0 संबंधी, आरोप, विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी अनुदेशों का, प्रोन्ति पर विचार के समय, अनुपालन करना अपेक्षित होगा।

14. विभागीय प्रोन्ति समिति। — प्रोन्तियाँ विभागीय प्रोन्ति समिति की अनुशंसा के आधार पर होंगी। विभागीय प्रोन्ति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

अध्याय 5 : प्रकीर्ण

*142(4)
13-2-14*
15. आरक्षण। — सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा समय—समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्ति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

✓

16. परिशिष्ट-1 में अंकित पदसोपान सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी होगा। यदि अनुमोदन पर विचार के क्रम में सरकार द्वारा परिशिष्ट-1 में अंकित पद-सोपान में कोई परिवर्तन या संशोधन किया जाता है तो परिशिष्ट-1 तदनुसार परिवर्तित या संशोधित समझा जायेगा और ऐसा परिवर्तित/संशोधित पद-सोपान इस नियमावली का अंग माना जायेगा।
17. परिशिष्ट-1 में उल्लिखित इस संवर्ग के पदों पर, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से, नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।
18. अवशिष्ट मामले। — इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है उनके लिए सरकार की प्रासंगिक संहिताएँ/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।
19. निर्वचन। — यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।
20. कठिनाई का निराकरण। — यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग को ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण करने की शक्ति होगी।
21. निरसन एवं व्यावृत्ति। — (1) इस संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में समय-समय पर निर्गत नियमावली और सभी संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से निरसित समझे जायेंगे।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी ऐसी नियमावली, संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा

किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश

(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

१३/१२/१४

ज्ञापांक-4/प्रा०-१२-१३/२०१३-१४२(४) पटना, दिनांक- १३-२-१४

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

१३/१२/१४

[७]

परिशिष्ट-1

[नियम- २(vi), 4, 13, 16, 17 द्रष्टव्य]

प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग का पदसोपान

क्रमांक	कोटि	पदनाम	अभ्युक्ति
1	मूल कोटि	प्रयोगशाला प्रावैधिक	
2	प्रथम सोपान	वरीय प्रयोगशाला प्रावैधिक	
3	द्वितीय सोपान	प्रयोगशाला पर्यवेक्षक	
4	तृतीय सोपान	वरीय प्रयोगशाला पर्यवेक्षक	

नोट :- उपर्युक्त सभी कोटियों का वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।

142(4)
13-214

13-214
सरकार के संयुक्त सचिव/
उपर्युक्त
13-214

